Think IAS...

दृष्टि The Vision

Think Drishti

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)

छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य

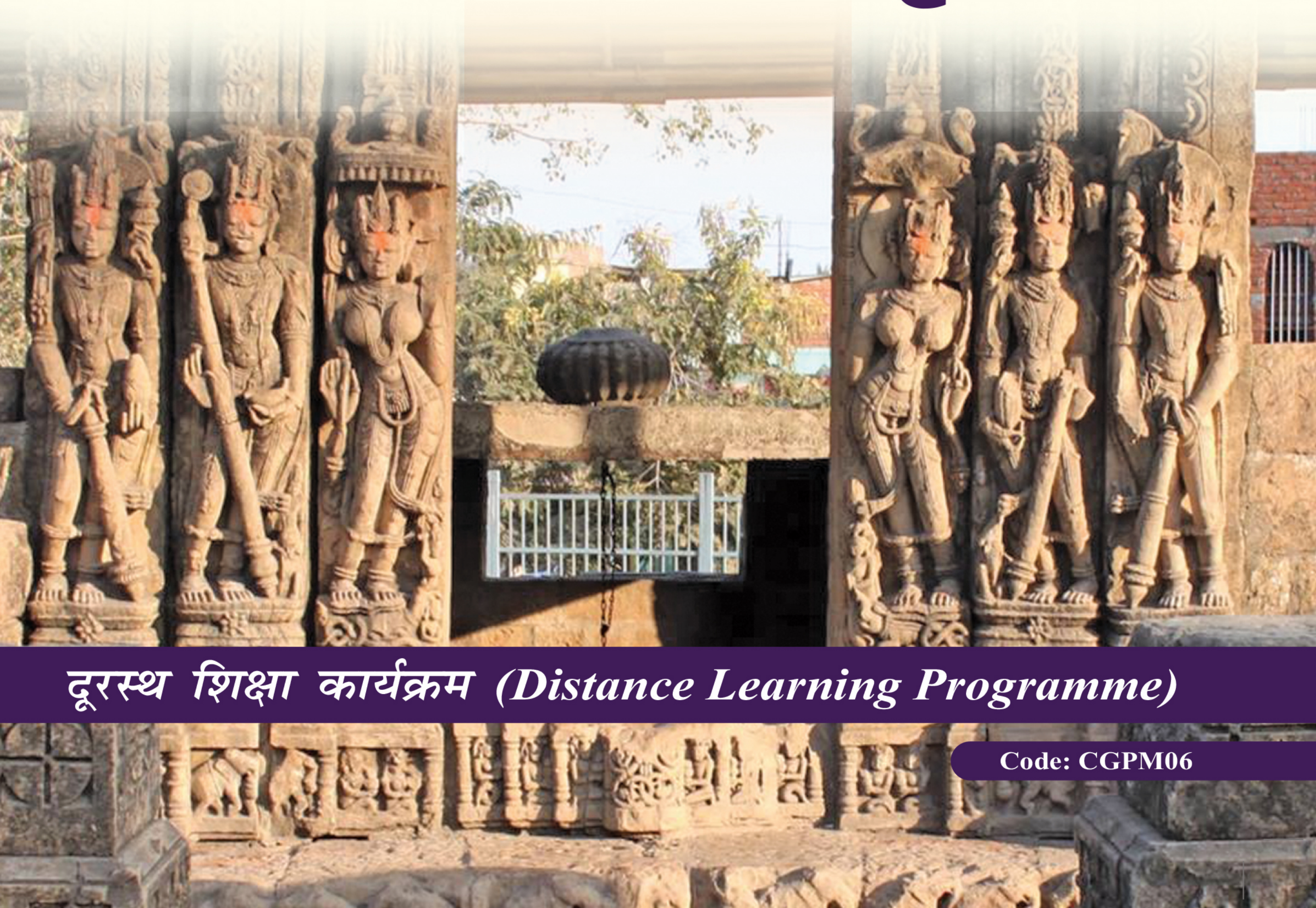

दूरस्थ शिक्षा कार्यक्रम *(Distance Learning Programme)*

Code: CGPM06

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC)

छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिदृश्य

दृष्टि The Vision
641, प्रथम तल, डॉ. मुखर्जी नगर, दिल्ली-110009
दूरभाष : 8750187501, 011-47532596
टोल फ्री : 1800-121-6260
Web : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

पाठ्यक्रम, नोट्स तथा बैच संबंधी updates निरंतर पाने के लिये निम्नलिखित पेज को "like" करें
www.facebook.com/drishtithevisionfoundation
www.twitter.com/drishtiias

CGPSC DLP विषय सूची (Contents)

1. जनजातीय सामाजिक संगठन	**5–18**
1.1 विवाह	5
1.2 परिवार	9
1.3 गोत्र	13
1.4 युवा समूह/युवागृह	14
2. जनजातीय विकास	**19–31**
3. छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ	**32–58**
4. छत्तीसगढ़ : आभूषण, वाद्ययंत्र, व्यंजन	**59–68**
5. जनजातीय समस्याएँ : पृथक्करण, प्रवसन और परसंस्कृतिकरण	**69–74**
6. छत्तीसगढ़ : लोककला एवं संस्कृति	**75–132**
6.1 लोक गीत	75
6.2 लोक नृत्य	78
6.3 लोक नाट्य	85
6.4 लोक कला	89
6.5 छत्तीसगढ़ : लोक साहित्य एवं प्रमुख लोक कलाकार	93
6.6 छत्तीसगढ़ राज्य के साहित्य	101
6.7 लोकोक्तियाँ (हाना)	118
7. छत्तीसगढ़: सम्मान एवं पुरस्कार	**133–139**
8. छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति	**140–191**
8.1 छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेले	140
8.2 छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्व-त्योहार	147
8.3 छत्तीसगढ़ के प्रमुख पुरातात्त्विक स्थल	159
8.4 छत्तीसगढ़ के प्रमुख पर्यटन स्थल	170
8.5 छत्तीसगढ़ के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य	179
8.6 छत्तीसगढ़ के प्रमुख संत	185

अध्याय
1

जनजातीय सामाजिक संगठन (Tribal Social Organization)

सामाजिक संगठन हमें सभी समाजों में देखने में को मिलते हैं चाहे वह आदिम समाज हो या आधुनिक। सामाजिक संरचना का निर्माण करने वाली इकाइयाँ परस्पर संयुक्त होकर सामाजिक संरचना को गतिशील बनाये रखने के लिये योगदान देती हैं, इस गतिशीलता को ही सामाजिक संगठन कहा जाता है। **मजूमदार तथा मदान के अनुसार** "चयनशील व्यक्तियों द्वारा एक समय विशेष में संचालित सामाजिक संरचना को सामाजिक संगठन कहते हैं,"। सामाजिक संगठन के अंतर्गत विवाह, परिवार, गोत्र, नातेदारी, अर्थव्यवस्था तथा राजनैतिक संगठन जैसी संस्थाएँ, विभिन्न पद एवं भूमिकाएँ आती हैं। जनजातीय जीवन में इन संस्थाओं को अधिक महत्त्व दिया जाता है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि ये संस्थाएँ ही जनजातीय जीवन का आधार स्तंभ हैं। हालाँकि वर्तमान में यह संस्थाएँ भी परिवर्तन के प्रभाव से अछूती नहीं रही है।

छत्तीसगढ़ राज्य वन्य बाहुल्य क्षेत्र है तथा इसमें यहाँ के मूल निवासी आदिवासी रहते हैं। इनकी अपनी संस्कृति, भाषा एवं संस्कार हैं। इन आदिवासी लोगों की खास विशेषता है - इनका सामूहिक जीवन, सामूहिक उत्तरदायित्व और भावात्मक संबंध। सामूहिक जीवन की चेतना तथा परस्पर के प्रति सकारात्मक जुड़ाव - ये दोनों बातें इतनी एकाकार हो गई हैं कि ये लोग अकेले-निजी जीवन या परिवार की बात सोच भी नहीं सकते। यही कारण है कि वे परस्पर की निस्वार्थ व स्वाभाविक रूप से मदद करते हैं और एक-दूसरे की जरूरतों को पूरा करते हैं। इस समाज में अपने मूल रूप में कभी भी व्यापारिक लेन-देन, ब्याज, साहूकारी आदि की प्रथा नहीं रही है, जैसे- किसी को खेती के लिये बीज व मदद की जरूरत होती है तो सब मिलकर उसे पूरा करते हैं। फसल आने पर वह व्यक्ति उन्हें लौटा देता है।

सहज विश्वास पर सामाजिक रीति के अनुसार व्यवहार चलता है। इनके विवाह, शिशु-जन्म आदि सभी का प्रबंध इसी रूप में होता है। कभी कोई भूले-भटके यदि झगड़ा हुआ तो गाँव-समाज इसे सुलझा देते हैं। अतः ये लोग शहरी जीवन की जटिलताओं व कानूनी दाँव-पेंचों से अनभिज्ञ रहते हैं। आम शहरी लोगों के दाँव-पेंच से वे धोखा खा जाते हैं, शहरी लोग इनके इस नैसर्गिक-सहज, सह-अस्तित्व की भावना का दुरुपयोग करते हैं। आज इनकी दयनीय स्थिति के कारणों में यह एक प्रमुख कारण है। आधुनिकता के नाम पर अपने सहज, सरल, प्रकृतिमय, मूल्यवादी जीवन व्यवस्था से वे अलग हो रहे हैं। अब उनके सामने एक ऐसी व्यवस्था है, जो उनके लिये अबूझ है जहाँ वे अपने को असहाय महसूस कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में प्रचलित निम्नलिखित सामाजिक संगठन हैं-

1.1 विवाह *(Marriage)*

जनजाति समाज द्वारा स्त्री-पुरुषों की एक-दूसरे के सहयोग एवं परिवार तथा समाज के स्थायी विकास हेतु विवाह संबंधित संस्था का जन्म हुआ। मानव के इस संसार को उनके सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिये विवाह संस्था का निर्माण हुआ। जनजातियों में एकविवाह, बहुविवाह, बहुपतिविवाह तथा बहुपत्नी विवाह प्रचलित हैं। अलग-अलग मानवशास्त्री व समाजशास्त्रियों ने विवाह को अलग-अलग प्रकार से परिभाषित किया है। जैसे-

- **आर. मुखर्जी के अनुसार:** ''विवाह वह आधार है जो घर बसाता है और बच्चों के पालन-पोषण और आर्थिक सहकारिता तथा सामाजिक उत्तरदायित्व की नींव को बनाता है।''
- **बोगार्डस के अनुसार:** "विवाह स्त्री और पुरुष को पारिवारिक जीवन में प्रवेश करवाने वाली एक संस्था है।''
- **वेस्टर मार्क के अनुसार:** ''विवाह एक या अधिक पुरुषों का एक या अधिक स्त्रियों के साथ होने वाली वह संस्था-संबंध है, जिसे प्रथा या कानून स्वीकार करता है और जिसमें विवाह करने वाले व्यक्तियों के और उससे पैदा हुए संभावित बच्चों के बीच एक-दूसरे के प्रति होने वाले अधिकारों और कर्त्तव्यों का समावेश होता है।''
- **लॉवी के अनुसार:** विवाह उन स्पष्टतः स्वीकृत संगठनों को प्रकट करता है जो इंद्रिय संबंधी संतोष के उपरांत भी स्थिर रहता है तथा पारिवारिक जीवन का आधार स्तंभ बनाता है।
- **जॉनसन के अनुसार:** विवाह के विषय में आवश्यक बात यह है कि यह एक स्थायी संबंध है, जिसमें एक पुरुष तथा स्त्री समाज में अपनी प्रतिष्ठा को हानि पहुँचाए बिना संतान उत्पन्न करने के लिये सामाजिक स्वीकृति पाते हैं।

और अपना महत्त्व खोते जा रहे हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि नवीन परिस्थितियों के संदर्भ में युवागृहों का नवीनीकरण एवं पुनर्मूल्यांकन किया जाए। युवागृह जनजातीय समाज के विघटन को रोकने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। यदि इस तरह सजग प्रयत्न नहीं किये गए तो कुछ समय बाद इनके ध्वंसावशेष ही रह जाएंगे। अतः इनके नकारात्मक नहीं वरन् सकारात्मक पक्षों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है।

परीक्षोपयोगी महत्त्वपूर्ण तथ्य

- **ऑगबर्न एवं निमकॉफ के अनुसार:** ''बच्चों या बिना बच्चे वाली एक पत्नी के या किसी एक पुरुष या स्त्री के अकेले ही अपने बच्चों सहित एक थोड़े-बहुत स्थायी संघ को परिवार कहते हैं।''
- **लूसी मेयर के अनुसार:** ''परिवार एक गृहस्थ समूह है जिसमें माता-पिता और संतान साथ रहते हैं। इसके मूल रूप में दंपति और उनकी संतानें रहती हैं।''
- धुमकुरिया युवागृह उँराव जनजाति से संबंधित है।
- वेरियर एल्विन की प्रमुख पुस्तकें : मुरिया और उनका घोटुल, दि अगरिया, दि बैगा, दि ट्राइबल आर्ट ऑफ इंडिया एवं एक गोंड गाँव में जीवन।
- उढ़रिया विवाह को पलायन विवाह भी कहा जाता है।

अति लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 30 शब्दों में दीजिये)

1. वेरियर एल्विन द्वारा मध्य भारत की जनजातियों पर लिखी गई प्रमुख पुस्तकों के नाम लिखिये। (कम-से-कम तीन पुस्तकों के नाम) **CGPCS (Mains) 2016**
2. गोत्र को परिभाषित कीजिये। **CGPCS (Mains) 2015**
3. प्रबोधन का परिवार और प्रजनन का परिवार में विभेद कीजिये। **CGPCS (Mains) 2014**
4. पत्नि-भागिनी विवाह क्या है? **CGPCS (Mains) 2013**
5. पति-भ्रातृ विवाह क्या है? **CGPCS (Mains) 2012**
6. वधू मूल्य क्या है? **CGPCS (Mains) 2012**
7. धुमकुरिया क्या है?

लघुउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिये)

1. धुमकुरिया किस जनजाति से संबंधित हैं? एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिये। **CGPCS (Mains) 2015**
2. एकल और विस्तारित परिवार में अंतर बताइये। **CGPCS (Mains) 2012**
3. पठौनी विवाह से आप क्या समझते हैं?
4. एकांकी परिवार से आप क्या समझते हैं?

दीर्घउत्तरीय प्रश्न (उत्तर लगभग 100/125/175 शब्दों में दीजिये)

1. जनजातियों में प्रचलित अधिमान्य विवाह के स्वरूपों की चर्चा कीजिये। **(250 शब्द) CGPCS (Mains) 2015**
2. छत्तीसगढ़ के जनजातीय 'युवागृहों' का विवरण दीजिये। **(500 शब्द) CGPCS (Mains) 2013**
3. छत्तीसगढ़ की जनजातियों के जीवन-साथी चुनने की विभिन्न तरीकों का वर्णन कीजिये। **(250 शब्द) CGPCS (Mains) 2012**
4. मुरिया जनजाति के प्रसिद्ध युवागृह 'घोटुल' में होने वाले गतिविधियों का वर्णन करें।

नोट: वर्ष 2018 से पूर्व परीक्षा प्रणाली में दीर्घउत्तरीय प्रश्नों के अंतर्गत 100/250/500 शब्द सीमा वाले प्रश्न पूछे जाते रहे हैं, जबकि नवीन परीक्षा प्रणाली के अंतर्गत 100/125/175 शब्दों के प्रश्न पूछे जाएंगे।

अध्याय
2

जनजातीय विकास
(Tribal Development)

छत्तीसगढ़ में जनजातियों का विकास ब्रिटिश काल से प्रारंभ हो गया था। यहाँ की जनजातियाँ दुर्गम वनों एवं पहाड़ों पर निवास करती हैं इस कारण इनकी जीवन पद्धति भी स्वतंत्र होती है। जनजाति जंगल पर आश्रित होने के कारण जल, जंगल, ज़मीन को अपना अधिकार मानते हैं। जनजाति वह सामाजिक समुदाय है जो राज्य के विकास के पूर्व अस्तित्व में था। जनजाति वास्तव में भारत के आदिवासियों के लिये इस्तेमाल होने वाला एक वैधानिक पद है। भारत के संविधान में अनुसूचित जनजाति पद का प्रयोग हुआ है। ब्रिटिश सरकार ने जनजातियों की जनसंख्या के प्रति निर्हस्तक्षेप की नीति अपनाकर उसे अपने भाग्य पर छोड़ दिया। ब्रिटिश शासन काल में विभिन्न जनजातियों से सम्पर्क स्थापित करने के लिये 19वीं सदी के शुरुआत में अंग्रेजों ने मिशनरियों की सहायता ली। उनका उद्देश्य जंगल से प्राप्त होने वाले बेशकीमती लकड़ियाँ थी। इनके दोहन से जनजातियों का विरोध न हो, इस बात की चिंता ने उनसे सम्पर्क करने पर मजबूर किया जबकि स्वतंत्रता आंदोलन के सूत्रधारों ने जनजातियों के प्रति भावनात्मक सहानुभूति प्रकट की थी। वर्तमान में भारत शासन की नीति जनजातियों के विकासात्मक कार्यों हेतु सक्रिय दिखाई देती है।

जनजातियों के इतिहास *(History of Tribes)*

सामान्यत: 'आदिवासी' (ऐबोरिजिनल) शब्द का प्रयोग किसी भौगोलिक क्षेत्र के उन निवासियों के लिये किया जाता है जिनका उस भौगोलिक क्षेत्र से ज्ञात इतिहास में सबसे पुराना संबंध रहा हो। परंतु संसार के विभिन्न भूभागों में जहाँ अलग-अलग धाराओं में अलग-अलग क्षेत्रों से आकर लोग बसे हों उस विशिष्ट भाग के प्राचीनतम अथवा प्राचीन निवासियों के लिये भी इस शब्द का उपयोग किया जाता है। उदाहरणार्थ, 'इंडियन' अमेरीका के आदिवासी कहे जाते हैं और प्राचीन साहित्य में दस्यु, निषाद आदि के रूप में जिन विभिन्न प्रजाति समूहों का उल्लेख किया गया है उनके वंशज समसामयिक भारत में आदिवासी माने जाते हैं। आदिवासी के समानार्थी शब्दों में ऐबोरिजिनल, इंडिजिनस, देशज, मूल निवासी, जनजाति, वनवासी, जंगली, गिरिजन, बर्बर आदि प्रचलित हैं। इनमें से हर एक शब्द के पीछे सामाजिक व राजनीतिक संदर्भ हैं।

अधिकांश आदिवासी संस्कृति के प्राथमिक धरातल पर जीवनयापन करते हैं। वे सामान्यत: क्षेत्रीय समूहों में रहते हैं और उनकी संस्कृति अनेक सदियों से स्वयंपूर्ण रहती है। इन संस्कृतियों में ऐतिहासिक जिज्ञासा का अभाव रहता है तथा ऊपर की थोड़ी ही पीढ़ियों का यथार्थ इतिहास क्रमश: किंवदंतियों और पौराणिक कथाओं में घुल-मिल जाता है।

जनजातियों का विकास *(Development of Tribes)*

जनजातीय विकास का आशय है जनजातीय आबादी की अधिकारहीनता की परिस्थिति को सुधारते हुए उनके जीवन में गुणात्मक उन्नति करना। भारत का संविधान अनुसूचित जनजातियों को वैधानिक संरक्षण एवं सुरक्षा प्रदान करता है। संवैधानिक प्रावधानों के अतिरिक्त जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक उन्नति हेतु विधि कार्यक्रम क्रियान्वित किये गए हैं। भारत में जनजातियों के विकास को दो चरणों में बाँटकर देखा जा सकता है। 1. स्वतंत्रता पूर्व विकास, 2. स्वतंत्रता पश्चात् विकास।

स्वतंत्रता पूर्व विकास

ब्रिटिश शासन में ब्रिटिशों का मुख्य लक्ष्य था जंगलों से लकड़ी प्राप्त करना जिसका विरोध जनजातियों द्वारा किया जाता था। अंग्रेज शासकों ने जनजातीय क्षेत्रों में बाहरी लोगों के प्रवेश को प्रतिबंधित कर दिया था जबकि ईसाई संगठनों एवं वन ठेकेदारों को प्रवेश की अनुमति थी। स्वतंत्रता के आस-पास छत्तीसगढ़ में विदेशी शासकों ने जनजातियों को भड़काने का प्रयास किया। इस प्रकार अलगाव की नीति ने जनजातियों को राष्ट्र की मुख्यधारा से दूर करने का प्रयास किया। इसके बावजूद यह सत्य है कि मिशनरियों ने जनजातियों के विकास के लिये अनेक अच्छे कार्य किये जिनमें स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में किये गए कार्य प्रमुख थे।

अध्याय
3

छत्तीसगढ़ की जनजातियाँ (Tribes of Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ एक जनजाति बाहुल्य राज्य है जो अपनी पृथक् संस्कृति एवं लोककला के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ की जनजातियाँ अपनी विशिष्ट जीवन शैली तथा अपनी परंपरागत संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में सफल हुई हैं। छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजातियाँ 'प्रोटोऑस्ट्रेलॉइड' प्रकार की हैं। छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं जो 161 उपसमूहों में विभाजित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में जनजातियों से संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। 2011 की जनगणना के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में अनुसूचित जनजातियों की कुल संख्या 78,22,902 है, जो प्रदेश की कुल जनसंख्या का 30.6 प्रतिशत है तथा देश की कुल जनसंख्या का 8 प्रतिशत है। बस्तर को 'जनजातियों की भूमि' कहा जाता है।

जनजाति की परिभाषाएँ *(Definitions of Tribes)*

- **डी.एन. मजूमदार के अनुसार:** "जनजाति परिवारों का एक संकलन है जिसका अपना एक सामान्य नाम होता है, जिसके सदस्य एक निश्चित भू-भाग में निवास करते हैं, सामान्य भाषा बोलते हैं। विवाह, व्यवसाय या उद्योग के विषय में कुछ निर्देशों का पालन करते हैं तथा एक सुनियोजित आदान-प्रदान की व्यवस्था का विकास करते हैं, जनजाति कहा जाता है।''
- **गिलिन एवं गिलिन के अनुसार:** "जनजाति किसी ऐसे स्थानीय समूह को कहा जाता है जो एक सामान्य भू-भाग पर निवास करता हो, एक सामान्य भाषा बोलता हो तथा एक सामान्य सांस्कृतिक व्यवहार करता हो।''
- **इंपीरियल गज़ेटियर ऑफ इंडिया के अनुसार:** ''जनजाति ऐसे परिवारों का संकलन है जिसका एक सामान्य नाम है, सामान्य भाषा है तथा जो सामान्य भू-भाग में बसे हुए हैं अथवा उसमें बसे होने का दावा करते हैं और उनमें अंतर्विवाही न होने वाली प्रथा पाई जाती है।''
- **पुस्तक 'नोट्स एंड क्वेरिज' के अनुसार:** ''जनजाति एक ऐसा समूह है, जो किसी विशेष भू-स्थान का स्वामी है जो राजनीतिक तथा सामाजिक दृष्टि से शृंखलाबद्ध स्वायत्त शासन चला रहा हो, जनजाति कहलाती है।''
- **लूसी मेयर:** जनजाति समान संस्कृति वाली जनसंख्या का स्वतंत्र राजनीतिक विभाजन है।
- **ऑक्सफोर्ड शब्दकोष:** "जनजाति विकास के आदिम अथवा बबेर आचरण में लोगों का एक समूह है जो एक मुखिया की सत्ता स्वीकारते हैं तथा साधारणतया अपना एक समान पूर्वज मानते हैं।"

जनजाति समुदाय के लक्षण

- जनजाति परिवारों का एक समूह होता है, जिसका अपना एक विशेष नाम होता है।
- किसी एक विशेष जनजाति समुदाय का भौगोलिक वितरण एक सुनिश्चित भू-भाग पर होता है।
- प्रत्येक जनजातियों की अपनी एक विशिष्ट संस्कृति एवं बोली/भाषा होती है।
- जनजातियों में गोत्र एवं अंतर्विवाही समूहों की विशिष्टता होती है।
- जनजातियों का सुरक्षात्मक एवं स्वतंत्र प्रकार का राजनीतिक संगठन होता है जिसमें सामान्यत: मुखिया सर्वोच्च होता है।

छत्तीसगढ़ एक जनजाति बाहुल्य राज्य है जो अपनी पृथक् संस्कृति एवं लोककला के लिये प्रसिद्ध है। यहाँ की जनजातियाँ अपनी विशिष्ट जीवन शैली तथा अपनी परंपरागत संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने में सफल हुई हैं। छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनजातियाँ 'प्रोटोऑस्ट्रेलॉइड' प्रकार की हैं। छत्तीसगढ़ में 43 प्रकार की जनजातियाँ पाई जाती हैं जो 161 उपसमूहों में विभाजित हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में जनजातियों से संबंधित प्रावधानों

अध्याय 4

छत्तीसगढ़ : आभूषण, वाद्ययंत्र, व्यंजन (Chhattisgarh: Ornaments, Instrument, Vyanjan)

भारतीय परंपरा में आभूषणों की पहचान विश्व में सबसे अलग हटकर है, क्योंकि आभूषणों की विशाल परंपरा विश्व में सबसे अधिक भारत में ही है। राजा-महाराजाओं के इस देश में करोड़ों से लेकर एक रुपए तक के आभूषण प्रचलन में थे और आज भी हैं। भारतीय परंपरा में नारी के सौंदर्य-अनुभूति के प्रतीक आभूषण भारत के गाँवों की भी पहचान हैं। छत्तीसगढ़ का ग्रामीण अंचल इससे अछूता नहीं है और अपनी सामर्थ्य के अनुसार परंपरा को जीवित रखने की कोशिश अंतिम पंक्ति के मानव में भी जारी है।

छत्तीसगढ़ जनजातियों के आभूषण *(Ornaments of Chhattisgarh Tribes)*

छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विशेषता का सौंदर्य यहाँ के आभूषणों में निहित है। आभूषणों के रूप में सौंदर्य की कलात्मक चेतना के ये आयाम हज़ारों सालों से जीवंत हैं और आज भी सुनहरे पन्नों में विद्यमान हैं। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक आभूषणों के साथ-साथ यहाँ की जनजातियों में पेय पदार्थ, पारंपरिक व्यवसाय, परंपरागत कृषि पद्धति, धार्मिक पर्व एवं नृत्य आदि प्रचलित हैं। प्राकृतिक एवं अचल श्रृंगार, टोने-टोटके, भूत-प्रेत पर विश्वास तथा गोदना आदि के प्रचलन को जनजाति रक्षाकवच की तरह मानते हैं। श्रृंगार के लिये सोने-चांदी, लोहा, काँसा, पीतल, गिलट, बाँस, लाख के गहने प्रचलित हैं। जनजाति आभूषणों पर गोत्र चिह्न अंकित करने की प्रथा है। आभूषण धार्मिक विश्वास, दार्शनिक चिंतन, सौंदर्य-बोध और सामाजिक चिंतन का भी परिचायक होता है। शिशु जन्म तथा विवाह जैसे मांगलिक अवसरों पर आभूषण लेन-देन तथा धारण करने की प्रथा विशेष रूप से प्रचलित है।

प्रमुख आभूषण	
लुरकी	• यह कानों में पहना जाता है, यह आभूषण पीतल, चांदी, तांबे जैसी धातुओं का बना होता है। इसे कर्ण फूल या खिनवा भी कहा जाता है।
करधन	• चांदी, गिलट या नकली चांदी से बना यह वज़नी आभूषण छत्तीसगढ़ की प्राय: सभी जनजाति की महिलाओं द्वारा कमर में पहना जाने वाला आभूषण है। इसे करधनी भी कहते हैं।
सूतिया	• गले में पहना जाने वाला यह आभूषण ठोस गोलाई में एल्यूमिनियम, गिलट, चांदी, पीतल आदि का होता है।
पैरी	• इसे पैर में पहना जाता है। यह गिलट या चांदी का होता है। इसे पैरपट्टी, तोड़ा या साटी/संटी भी कहा जाता है। कहीं-कहीं पर इसका नाम लच्छा भी है।
बाँहूटा	• बाँह में स्त्री-पुरुष दोनों द्वारा पहना जाने वाला यह आभूषण प्राय: चांदी या गिलट का होता है। इसे मैना जनजाति में पहुँची भी कहा जाता है। भुंजिया इसे बनौरिया कहते हैं।
बिछिया	• पैर की उँगलियों में पहना जाता है, यह चांदी का होता है। इसका अन्य नाम 'चुटकी' है जो बैगा जनजाति में कहा जाता है।
ऐंठी	• यह कलाई में पहना जाने वाला आभूषण है, जो कि चांदी, गिलट आदि से बनाया जाता है। इसे ककना और गुलेठा भी कहा जाता है।
बंधा	• यह सिक्कों से बना होता है जो गले में पहना जाता है। पुराने चांदी के सिक्कों की माला आज भी आदिवासी स्त्रियों के गले की शोभा बढ़ाती है।
फुली	• यह नाक में पहना जाने वाला आभूषण है यह चांदी, पीतल या सोने का बना होता है। इसे लौंग भी कहा जाता है।

अध्याय
5

जनजातीय समस्याएँ : पृथक्करण, प्रवसन और परसंस्कृतिकरण
(Tribal Problems : Isolation, Migration and Acculturation)

हज़ारों वर्षों से जंगलों और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले आदिवासियों को हमेशा से दबाया और कुचला जाता रहा है, जिससे उनकी जिंदगी अभावग्रस्त ही रही है। इनका खुले मैदान के निवासियों और तथाकथित सभ्य कहे जाने वाले लोगों से न के बराबर ही संपर्क रहा है। केंद्र सरकार आदिवासियों के नाम पर हर साल हज़ारों करोड़ रुपए का प्रावधान बजट में करती है। इसके बाद भी 6-7 दशक में उनकी आर्थिक स्थिति, जीवन-स्तर में कोई बदलाव नहीं आया है। स्वास्थ्य सुविधाएँ, पीने का साफ पानी आदि मूलभूत सुविधाओं के लिये वे आज भी तरस रहे हैं।

इन सभी बातों को जानने के बावजूद आदिवासियों की समस्या को तय कर पाना कतई आसान नहीं है। हर क्षेत्र की परिस्थितियाँ अलग-अलग हो सकती हैं। जैसे कि कई क्षेत्रों के आदिवासी बिना मूलभूत सुविधा के ही संतुष्ट हो सकते हैं तो कहीं इन सबकी दरकार भी हो सकती है। कहने का अर्थ यह है कि अलग-अलग क्षेत्रों में रह रहे आदिवासियों की समस्याएँ भिन्न-भिन्न हो सकती हैं। वैसे सामान्यत: ऐसा होता नही है, क्योंकि आदिवासी समाज की अपनी एक पहचान है, जिसमें उनके रहन-सहन, आचार-विचार एक जैसे ही होते हैं। इधर बाहरी प्रवेश, शिक्षा और संचार माध्यमों के कारण इस ढाँचे में थोड़ा बदलाव ज़रूर आया है।

पृथक्करण/अलगाववाद *(Isolation)*

छत्तीसगढ़ के जनजातीय समुदाय में पृथक्करण को सकारात्मक और नकारात्मक, दोनों प्रकार से देखा जाता रहा है। जहाँ एक ओर यह माना जाता है कि जब तक दूरदराज़ के जंगली क्षेत्रों में निवासरत् जनजातीय समुदायों को मुख्य धारा में सम्मिलित नहीं किया जाएगा, तब तक उनका विकास नहीं हो पाएगा। वहीं दूसरी ओर सभ्य समाज के संपर्क में आने के कारण जनजातीय समाज में शोषण इत्यादि समस्या उत्पन्न होंगी। भारतीय जनजातियाँ अधिकतर देश के घने जंगलों और पहाड़ों में निवास करती हैं, जिनके कारण वे अपने जीवन के कई महत्त्वपूर्ण बातों के लिये जंगल के परिवेश एवं वातावरण पर निर्भर रहती हैं। प्रकृति पर जीवन निर्भरता होने के कारण प्रकृति जीवन के तरीकों का निर्धारक होती है, इसलिये इनमें स्थायित्व नहीं आ पाता। वहीं दूसरी ओर दुर्गम क्षेत्र एवं पृथकता के कारण सड़क और यातायात संबंधी अनेक प्रकार की समस्याएँ होती हैं। सड़क और यातायात विकास के लिये महत्त्वपूर्ण है। सड़क न होने की स्थिति में विकास के लिये अन्य आवश्यक सामान भी उन तक नहीं पहुँच पाते, जैसे- भोज्य पदार्थ, चिकित्सा, संचार के माध्यम आदि। सभ्य समाज द्वारा जनजातीय समाज का शोषण, जनजातियों के पारंपरिक ज्ञान का ह्रास, सांस्कृतिक सम्मिश्रण आदि को समस्या के रूप में देखा जाता है। अत: यह आवश्यक है कि विकास के साथ परंपराओं को भी ध्यान में रखा जाए।

प्रवसन *(Migration)*

सामान्य अर्थों में प्रवास का तात्पर्य एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या प्रवास करना होता है। अपनी प्रकृति के आधार पर प्रवासन को दो प्रकार में विभाजित किया गया है। पहला स्थायी प्रवास, जिसमें कोई परिवार या समुदाय एक बार प्रवास करने के बाद अपने पुराने स्थान पर लौट के नहीं आता और दूसरा अस्थायी प्रवास, जिसमें कोई व्यक्ति, परिवार या समुदाय किसी दूसरे स्थान पर कुछ कार्य के लिये जाता है और कुछ दिन बाद वापस आ जाता है। इसके अंतर्गत शिक्षा, चिकित्सा आदि के कारण हुए प्रवास आते हैं। विकास के कारण किये जा रहे विभिन्न प्रकार के प्रवास, जैसे- उद्योगों की स्थापना, बांध का निर्माण, सड़क, रेलवे लाईन इत्यादि के कारण जनजातीय समुदायों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करना पड़ रहा है-

अध्याय
6

छत्तीसगढ़ : लोककला एवं संस्कृति
(Chhattisgarh : Folkart and Culture)

भारत के हृदय स्थल पर स्थित छत्तीसगढ़ जो भगवान राम की कर्मभूमि रही है, प्राचीन कला, सभ्यता, संस्कृति, इतिहास और पुरातत्त्व की दृष्टि से अत्यंत संपन्न है। छत्तीसगढ़ व्यापक रूप से गाँवों, कस्बों का प्रदेश है। यहाँ की संस्कृति को लोकसंस्कृति के रूप में देखना ही अधिक सार्थक है। छत्तीसगढ़ की संस्कृति लोक की संस्कृति है जो जनजातीय भू-भागों में अपनी पृथक् सांस्कृतिक अस्मिता के साथ संरक्षित है। इसके आचार-विचार, रीति-रिवाज़, उत्सव, मान्यताएँ, जीवनशैली, लोकगीत-संगीत, लोकगाथाएँ, लोकचित्रकला से समृद्ध हैं। छत्तीसगढ़ के गौरवशाली अतीत के परिचायक कुलेश्वर मंदिर (राजिम), शिव मंदिर (चंद्रखुरी), सिद्धेश्वर मंदिर (पलारी), आनंदप्रभु कुटीविहार और स्वास्तिक विहार (सिरपुर) एवं जगन्नाथ मंदिर (खल्लारी), भोरमदेव मंदिर (कबीरधाम), बत्तीसा मंदिर (बारसूर) तथा महामाया मंदिर (रतनपुर) आदि पुरातात्त्विक दृष्टि से महत्त्वपूर्ण स्थल हैं। छत्तीसगढ़ अनेक संस्कृतियों को पोषण देता रहा है। यहाँ के अधिकांश निवासी प्रकृति पर आस्था रखते हैं, परंतु तेज़ी से बदलते आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक परिवर्तनों के कारण छत्तीसगढ़ की लोकसंस्कृति भी प्रभावित हो रही है।

लोककला एवं संस्कृति

- **लोक गीत**
- **लोक नृत्य**
- **लोक नाट्य**
- **लोक कला**
- **लोक साहित्य एवं लोक कलाकार**

6.1 लोक गीत *(Folk song)*

लोकगीत, लोक जीवन की अलिखित, व्यावहारिक रचनाएँ हैं, जो लोक परंपरा से प्रचलित और प्रतिष्ठित होती हैं। लोकगीतों के रचयिता प्राय: अज्ञात होते हैं। वस्तुत: ये गीत समूहगत रचनाशीलता का परिणाम होते हैं एवं मौखिक परंपरा में जीवित रहकर युगों की यात्रा करते हैं। ये गीत ॠतुओं, पर्वों, संस्कारों के अतिरिक्त धर्म और श्रम से भी संबंधित होते हैं। वस्तुत: लोक मन को स्पंदित होकर गुनगुनाने के लिये किसी बंधन या नियम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिये ये संस्कृति के समग्र संवाहक होते हैं।

छत्तीसगढ़ी लोकगीत श्रम और साधना के गीत हैं। छत्तीसगढ़ मूलत: लोकगीत और आख्यान की बोली है, इसलिये पंडवानी, भरथरी, चदैनी, ढोलामारू, बाँस गीत के साथ विभिन्न संस्कार गीत, पर्व-त्यौहार, अनुष्ठान, बारहमासा, सुआ, ददरिया, बच्चों के खेल गीत, धनकुल, लक्ष्मी जगार आदि लोकगीतों में लोक कविता और लोक स्वर की छवियाँ अंकित मिलती हैं। छत्तीसगढ़ के लोकगीतों की गायन शैली में छत्तीसगढ़ी पारंपरिक सांगीतिक विविधता भी मौजूद है। यहाँ छत्तीसगढ़ की कुछ लोकप्रिय गीत शैलियों का वर्णन दिया जा रहा है-

लोकगीत	
पंडवानी	• पंडवानी एक छत्तीसगढ़ी लोकगायन संस्कृति है जिसका अर्थ है पांडव वाणी अर्थात् पांडवों की कथा। इस लोकगायन में महाभारत के पांडवों की कथा सुनाई जाती है जिसमें मुख्य किरदार 'भीम' होता है। वस्तुत: पंडवानी एक लोक गाथा है, किंतु महाभारत के पांडवों की कथा के छत्तीसगढ़ी लोकरूप का गीतमय आख्यान ही पंडवानी है। पंडवानी में किस्सागोई, संगीत व अभिनय सभी की अद्‌भुत समग्रता है। पंडवानी का मूल आधार परधान देवारों की पंडवानी गायकी, महाभारत की कथा और सबल सिंह चौहान की दोहा-चौपाई महाभारत है। महाभारत की कथा पर आधारित पंडवानी में भी महाभारत की तरह साहस, जोश, धर्म, अध्यात्मक और शृंगार सभी भाव समाहित होते हैं। पंडवानी

अध्याय 7

छत्तीसगढ़: सम्मान एवं पुरस्कार (Chhattisgarh: Honour and Award)

छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के प्रमुख कार्य करने वाले प्रसिद्ध व्यक्तियों एवं विभूतियों की स्मृति में पुरस्कारों की स्थापना की है। इन पुरस्कारों की स्थापना का उद्देश्य किसी व्यक्ति अथवा संस्था को उसके सर्वोच्च कार्यों के लिये यथोचित सम्मान प्रदान करना है। इन पुरस्कारों को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना की वर्षगाठ के अवसर पर, अर्थात् 1 नवंबर को प्रदान किया जाता है, जिनका मूल उद्देश्य समाज सेवा, खेल, साहित्य और कला इत्यादि को प्रोत्साहन देना है जिसके द्वारा छत्तीसगढ़ से राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व प्रदान किया जा सके और छत्तीसगढ़ के सर्वांगीण विकास में सहायक हो। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में पुरस्कार देने का प्रारंभ 2001 से किया गया है।

छत्तीसगढ़ शासन के प्रमुख सम्मान/पुरस्कार	
शहीद वीरनारायण सिंह पुरस्कार	• इस पुरस्कार की स्थापना 2001 में की गई थी। राज्य के बलौदाबाज़ार ज़िले के कसडोल ब्लॉक के ग्राम सोनाखान के शहीद वीरनारायण सिंह को छत्तीसगढ़ का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी माना जाता है। • प्रदेश शासन के 'आदिम जाति कल्याण विभाग' द्वारा आदिवासी और पिछड़े वर्ग के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों अथवा स्वैच्छिक संस्थाओं को दो लाख रुपए नगद एवं प्रशस्ति-पत्र दिया जाता है। • प्रथम 'शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार' आदिवासी शिक्षण समिति पाड़ीमाल को दिया गया था। वर्ष 2017 में इस पुरस्कार से **घनश्याम सिंह ठाकुर** (बेमेतरा) को सम्मानित किया गया।
पं. सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार	• इस पुरस्कार की स्थापना 2001 में हुई थी। छत्तीसगढ़ के गांधी कहे जाने वाले पं. सुंदरलाल शर्मा का जन्म 21 दिसंबर, 1881 को राजिम के ग्राम चंडसूर/चंद्रसूर में हुआ था। उन्हें सामाजिक एवं साहित्यिक चेतना का प्रतीक माना जाता है। • छत्तीसगढ़ के जनजागरण तथा सामाजिक क्रांति के अग्रदूत पं. सुंदरलाल शर्मा की स्मृति में यह सम्मान छत्तीसगढ़ संस्कृति विभाग द्वारा साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें दो लाख रुपए नगद एवं प्रशस्ति-पत्र किसी व्यक्ति अथवा संस्था को दिया जाता है। • प्रथम सुंदरलाल शर्मा पुरस्कार **विनोद कुमार शुक्ल को वर्ष 2001** में प्रदान किया गया था। वर्ष 2017 में डॉ सुरेंद्र दुबे को इस सम्मान से नवाजा गया।
डॉ. खूबचंद बघेल सम्मान	• छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के प्रथम स्वप्नद्रष्टा डॉ. खूबचंद बघेल का जन्म 19 जुलाई, 1900 को रायपुर के ग्राम पथरी में हुआ था। उनकी स्मृति में कृषि विभाग प्रदेश में कृषि क्षेत्र में सर्वोत्तम कार्य करने वाले किसान को पुरस्कार दिया जाता है, जिसमे दो लाख रुपए नगद एवं कृषक रत्न प्रदान किया जाता है। • प्रथम खूबचंद बघेल सम्मान **श्रीकांत गोवर्धन** को दिया गया था। वर्ष 2017 में इस पुरस्कार से रोहित कुमार साहू को सम्मानित किया गया।
गुरु घासीदास सम्मान	• इस पुरस्कार की स्थापना सन् 2001 में की गई थी। गुरुघासी दास सम्मान सतनाम पंथ के संस्थापक एवं समाज-सुधारक गुरु घासीदास जी की समृति में छत्तीसगढ़ आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा सामाजिक चेतना एवं दलित उत्थान के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया जाता है। • प्रथम गुरु घासीदास सम्मान रामरतन जांगड़े एवं राजमहंत जगतु सोनकर को वर्ष 2001 में प्रदान किया गया था। वर्ष 2017 में संत भक्ति पंथी कल्याण समिति को इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

अध्याय
8

छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति (Folk Culture of Chhattisgarh)

छत्तीसगढ़ का प्रमुख धर्म हिंदू है पर अन्य जाति और अन्य धर्मों के लोग भी निवास करते हैं। इनमें मुसलमान और ईसाई अपेक्षाकृत अधिक हैं। कुल जनसंख्या का करीब 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का है। धार्मिक रीतिवाज एवं विश्वास इस जनजाति की प्राचीन परंपराओं से संबंध है। इस क्षेत्र में हिंदुओं के अनेक मेले, पर्व एवं त्योहार प्रचलित हैं, जैसे- छेरछेरा, भोजली, नवाखाई, तीजा, पोला, हरेली, करमा, सरहुल, गोवर्धन पूजा, माटी तिजार, मड़ई, दियारी इत्यादि। धार्मिक सहिष्णुता और धर्म निरपेक्षता छ.ग. की अपनी विशेषता है। पर्व एवं त्योहार एक अंचल तथा जाति का सामुहिक उत्साह है जो विशेष अवसरों, ऋतुओं के परिवर्तन, खेती के प्रारंभ तथा अन्य अवसरों पर प्रदर्शित होते हैं। उनके पीछे धार्मिक आस्था एवं विश्वास के रंग भी अभिव्यंजित होते हैं। उक्त अवसरों पर इंद्रधनुषीय भारतीय संस्कृति की झलक दिखाई देती है। प्रमुख रूप से छ.ग. में 'बस्तर का दशहरा', रायगढ़ का 'गणेशोत्सव', बिलासपुर का 'राऊत नाचा', अपनी विशिष्ट पहचान बनाए हुए है।

8.1 छत्तीसगढ़ के प्रमुख मेले *(Major Fairs of Chhattisgarh)*

I. माघ पूर्णिमा से प्रारंभ होकर महाशिवरात्रि तक

दामाखेड़ा एवं कुदुरमल मेला

छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के समीप कबीर पंथियों की तीर्थ स्थल है। यहाँ देश-दुनिया से श्रद्धालु दर्शन के लिये आते हैं। रायपुर-बिलासपुर सड़क मार्ग पर सिगमा से 10 किमी. की दूरी पर एक छोटा सा ग्राम है। यह कबीरपंथियों की आस्था का सबसे बड़ा केंद्र माना जाता है। कबीर साहब के सत्य, ज्ञान तथा मानवतावादी सिंद्धातों पर आधारित दामाखेड़ा में कबीर मठ की स्थापना 1903 में कबीरपंथ के 12वें गुरु उग्रनाम साहब ने दशहरा के शुभ अवसर पर की थी तब से दामाखेड़ा कबीर पंथियों के तीर्थ स्थलों के रूप में प्रसिद्ध है।

मध्य प्रदेश के जिला उमरिया के अंतर्गत बांधवगढ़ निवासी संत धर्मदास, कबीर साहब के प्रमुख शिष्य थे। जिन्हें कबीर साहब ने अपना संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान दिया और द्वितीय पुत्र मुक्तामणि नाम साहब को 42 पीढ़ी तक कबीर पंथ का प्रचार-प्रसार करने का आशीर्वाद प्रदान किया। इस तरह मुक्तामणि नाम साहब कबीरपंथ के प्रथम वंशगुरु कहलाए, जिन्होंने छत्तीसगढ़ के ग्राम कुदुरमल, जिला कोरबा को कबीर पंथ के प्रचार-प्रसार के लिये कार्यक्षेत्र बनाया। वर्तमान में दामाखेड़ा गुरु गद्दी में 15वें गुरु प्रकाशमनी नाम साहेब 1990 से आसीन है। दामाखेड़ा और कुदुरमल दोनों स्थानों में ही माघ महीने के बसंत पंचमी के अवसर पर भव्य मेले का आयोजन किया जाता है, जो छ.ग. में कबीर पंथियों का प्रमुख तीर्थ स्थल है।

राजिम का मेला

राजिम कुंभ को प्रतिवर्ष होने वाले 'कुंभ' के नाम से जाना जाता है, कुछ वर्ष पूर्व यह एक मेले का स्वरूप था। यहाँ प्रतिवर्ष मांघ पूर्णिमा से महाशिवरात्रि तक 15 दिनों का मेला लगता है, राजिम कुंभ को पाँचवाँ (अर्द्धकुंभ) के नाम से भी जाना जाता है। राजिम मेले का आयोजन (कुंभ के रूप में) 2001 से राजिम मेले को 'राजिम लोचन महोत्सव' के रूप में मनाया जाता है, जिसे 2005 से कुंभ के रूप में मनाया जाता है। यह चेतना के स्फुरण, परंपरा और आस्था को दर्शाता है। राजिम रायपुर से 48 कि.मी. की दूरी पर गरियाबंद जिले में स्थित है, राजिम में तीन नदियों का समूह है- महानदी, पैरी, सोढूर; इसलिये इसे 'त्रिवेणी संगम' (प्रयाग) भी कहा जाता है।

छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास में राजिम में प्राप्त शिलालेख में नलवंशी राजा 'विलासतुंग' के पिता विरुपाक्ष (11वाँ नलवंशीय शासक) और पितामह पृथ्वीराज (13 वां) के विषय में ज्ञान प्राप्त होता है, जो 700-740ई. के दौरान लिखा गया था।

डी.एल.पी. बुकलेट्स की विशेषताएँ

- आयोग के नवीनतम पैटर्न पर आधारित अध्ययन सामग्री।
- पैराग्राफ, बुलेट फॉर्म, सारणी तथा फ्लोचार्ट का उपयुक्त समावेश।
- विषयवस्तु की सरलता, प्रामाणिकता तथा परीक्षा की दृष्टि से उपयोगिता पर विशेष ध्यान।
- प्रत्येक अध्याय के अंत में विगत वर्षों में पूछे गए एवं संभावित प्रश्नों का समावेश।

Website : www.drishtiIAS.com
E-mail : online@groupdrishti.com

DrishtiIAS

YouTube Drishti IAS

drishtiias

drishtithevisionfoundation

641, First Floor, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi-110009
Phones : 8750187501, 011-47532596